न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–205 / 14 (आरसीएमएस नं. 2014 / 00042)

1. अगरा राम पुत्र श्री बक्सा राम जाति जाट, निवासी जवाहरपुरा पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 19.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू के आदेश दिनांक 09.07.2014 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम, 1959, की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा एक आर्म्स लाईसेन्स अपीलार्थी को जारी किया हुआ है जिसे वह समय–समय पर नवीनीकरण कराता रहा है तथा वह लाईसेन्स दिनांक 31.12.2013 तक वैध था तथा उक्त वैध अवधि की समाप्ति से पूर्व ही अपीलार्थी ने उक्त आर्म्स लाईसेन्स को आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण कराने बाबत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा मनमानी तौर पर उक्त आर्म्स लाईसेन्स का नवीनीकरण नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आर्म्स लाईसेन्स अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा इसका कभी भी दुरूपयोग नही किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध, आरबीट्रेरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु लाईसेन्स लिया गया है तथा अपीलान्ट ने कभी भी समाज विरोधी गतिविधियों में कभी भी हिस्सा नही लिया है एवं अपीलार्थी अपने आर्म्स लाईसेन्स को समय–समय पर नवीनीकरण कराता रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना न्यायिक दृष्टिकोण अपनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी आर्म्स लाईसेन्स का दुरूपयोग नही किया गया तथा अपीलान्ट के विरूद्ध जो मुकदमें विचाराधीन है वह आर्म्स एक्ट सम्बन्धी नही थे इसलिये कुछ प्रकरण विचाराधीन होने के तथ्य पर आर्म्स लाईसेन्स के नवीनीकरण का इन्कार नही किया जा [illegible] भी है। उन्होने कथन किया है

द्वारा उक्त अपीलधीन आदेश की प्रतिलिपि ली गई एवं एवं पैसो की व्यवस्था एवं आवश्यक दस्तावेजात इकठ्ठे करने में समय व्यतीत हुआ है जो न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है। अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब को कण्डोन कराने बाबत अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2014 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के आर्म्स लाईसेन्स का नवीनीकरण के आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से अपीलान्ट की आयुक्त 80 वर्ष होने के कारण शस्त्र धारण/संचालन करने की समता नही होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जानाउचित नही माना है जबकि कानून में आयु का कही भी कोई काईटैरिया नही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2014 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।